रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2424] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 2424] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

परिसरों के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग तथा बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 3173(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22 जून,2007 और एस.ओ. सं. 4117(ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

(क).		अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22 जून, 2007 में संशोधन	
क्र. सं.	पैरा सं.	विद्यमान प्रावधान	परिवर्तन/संशोधन
1.	5	वर्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार	
	5.1	मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आने वाले परिसर उस अवधि तक के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार की वसूली (लेवी) की शर्त के अधीन होंगे जिस अवधि तक मिश्रित उपयोग के अंतर्गत परिसर बना हुआ हो बने रहने की संभावना हो। वित्त वर्ष 2006–07 के लिए कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों के वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार निम्न प्रकार होंगे :–	5.1.1 मिश्रित उपयोग के अंतर्गत परिसरों के स्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक स्ट्रीट पर वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों के स्थान पर एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार के भुगतान के लिए बाध्य होंगे।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
(क) दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों के लिए :–
प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दर रुपए में
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मिश्रित उपयोग का प्रकार</th><th>कॉलोनियों की ए और बी श्रेणी</th><th>कॉलोनियों की सी और डी श्रेणी</th><th>कॉलोनियों की ई, एफ, जी एवं एच श्रेणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकान</td><td>767</td><td>511</td><td>192</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>383</td><td>256</td><td>96</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>192</td><td>128</td><td>48</td></tr>
</table>
(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए
(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दर रुपए में)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मिश्रित उपयोग का प्रकार</th><th>श्रेणी ए से एच</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकान</td><td>1534</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>766</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>384</td></tr>
</table>
</td>
<td>
5.1.2 ऐसे स्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता जिन्होंने अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22 जून, 2007 के पैरा 5.4 के अनुसार ''एक कालिक भुगतान'' कर दिया हो अथवा जहां किश्तों में पहले से भुगतान की गई राशि ''एक कालिक भुगतान'' की 1.25 गुणा अथवा अधिक हो, को कोई अन्य अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक भुगतान, यदि कोई किया गया है, तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त पर वापिस कर दिया जाएगा।

5.1.3 जहां अधिसूचना की तिथि को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, वहां ऐसी अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों के अंदर शेष राशि का भुगतान कर दिया जाए। इसके बाद किसी भी अतिरिक्त विलंब पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज लिया जाएगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.2</td>
<td>वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान स्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से पूर्ववर्ती आकलन वर्ष अथवा उसके भाग के संबंध में उस भाग के समानुपात में, के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले किया जाएगा। वर्ष 2006–07 के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार के एक चौथाई (1/4वां) का भुगतान 30.06.2007 को अथवा उससे पहले किया जाएगा और शेष 3/4 का भुगतान 30.09.2007 को अथवा उससे पहले किया जाएगा। उत्तरवर्ती आकलन वर्षों के लए समग्र प्रभारों का भुगतान उस वर्ष की 30 जून को अथवा उससे पहले करना होगा।</td>
<td>लागू नहीं, इसलिए हटा दिया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.3</td>
<td>ये दरें बाद के वर्षों के संबंध में तब तक लागू रहेगीं जब कि केन्द्र सरकार के अनुमोदन से इन्हें विशेष रूप से संशोधित अथवा अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।</td>
<td>पैरा 5.4 के अनुसार प्रभार अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इसके बाद इन्हें संशोधित किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.4</td>
<td>
परिसरों के स्वामी/ आबंटिती/ निवासी/ उपयोगकर्ता के पास मिश्रित उपयोग प्रभारों का एककालिक भुगतान करने का विकल्प होगा, जो वर्ष 2006–07 के लिए निम्नानुसार होगा :–

(क) दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों के लिए :–

प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रों की दर रुपए में
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मिश्रित उपयोग का प्रकार</th><th>कॉलोनियों की ए और बी श्रेणी</th><th>कॉलोनी सी और डी श्रेणी</th><th>कॉलोनी की ई.एफ. जी. और एच श्रेणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकान</td><td>6136</td><td>4088</td><td>1536</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>3064</td><td>2048</td><td>768</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>1536</td><td>1024</td><td>384</td></tr>
</table>
</td>
<td>
मिश्रित उपयोग के अंतर्गत परिसरों के स्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक स्ट्रीट पर वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों के स्थान पर एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार का भुगतान करने हेत बाध्य होंगे। कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्न प्रकार से होंगे :–

(क) दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों के लिए :–

(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दर रुपए में)
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">मिश्रित उपयोग का प्रकार</th><th colspan="3">कॉलोनियों की श्रेणी</th></tr>
<tr><th>ए और बी</th><th>सी और डी</th><th>ई, एफ, जी और एच</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकानें</td><td>6136</td><td>4088</td><td>1536</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>3064</td><td>2048</td><td>768</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>1536</td><td>1024</td><td>384</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए

(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए दर रूपए में)

<table><tr><td>क्र.सं.</td><td>मिश्रित उपयोग का प्रकार</td><td>श्रेणी ए से एच</td></tr><tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकानें</td><td>12272</td></tr><tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>6128</td></tr><tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>3072</td></tr></table></td><td>(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए (प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए दर रूप्ए में)

<table><tr><td>क्र.सं.</td><td>मिश्रित उपयोग का प्रकार</td><td>कॉलोनियों की श्रेणी ए से एच</td></tr><tr><td>1.</td><td>खुदरा दुकानें</td><td>12272</td></tr><tr><td>2.</td><td>अन्य कार्यकलाप</td><td>6128</td></tr><tr><td>3.</td><td>व्यावसायिक कार्यकलाप</td><td>3072</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>5.5</td><td>वर्ष 2006–07 के लिए एक कालिक मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान चार समान तिमाही किश्तों में किया जा सकता है, जिसकी पहली किश्त का भुगतान 30.06.2006 को अथवा पहले किया जाएगा ।</td><td>एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभारों का भुगतान स्वामियों/आबंटितियों/ निवासियों/उपयोगकर्ताओं द्वारा एक मुश्त रू‍प में अथवा चार समान तिमाही में किया जाएगा । ऐसी पहली किश्त का भुगतान इन नियमों की अधिसूचना के 30 दिन के अंदर किया जाएगा और बाद की प्रत्येक किश्त का भुगतान उसके तीन माह की अवधि के अंदर करना होगा। भुगतान करने में किसी विलम्ब के मामले में 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा ।</td></tr>
<tr><td></td><td>5.6</td><td>एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों के गांवों और पुनर्वास कालोनियों के लिए मिश्रित उपयोग प्रभार दि.न.नि. कालोनियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रभारों के बराबर होंगे।</td><td>दिल्ली के गांवों और एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों की पुनर्वास कालोनियों के लिए मिश्रित उपयोग प्रभार दि.न.नि. कालोनियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रभारों के बराबर होंगे।</td></tr>
<tr><td></td><td>5.7</td><td>'नया उप पैरा जोडा गया'</td><td>यदि 100 वर्ग मी. से 250 वर्ग मी. तक के आकार के प्लॉट पर वर्तमान बिल्डिंग में कुल एफ.ए.आर. अनुमत एफ.ए.आर. से बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ा हुआ एफ.ए.आर (350 वर्ग मीटर तक अधिकतम एफ.ए. आर. तक) अनुमत होगा, जो कि लागू प्रभार के 1.5 गुना राशि के पेनल्टी प्रभार के भुगतान की शर्त पर अनुमत होगा ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td colspan="2">7. पार्किंग के विकास के लिए एक कालिक प्रभार</td></tr>
<tr><td></td><td>7.1</td><td>मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत प्लॉट/आवासीय इकाई के स्वामी/ आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ताओं को पार्किंग के विकास के लिए एक कालिक प्रभार देना होगा और प्रत्येक 50 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्रफल के लिए एक ई सी एस के लिए ऐसी दर 2006–2007 वर्ष हेतु इस प्रकार होगी :

(क) दि.न.नि. क्षेत्र के लिए :
कॉलोनियों की ए ए ंज ी श्रेणियां 2,10,500/–रु.
कॉलोनियों की सी एवं डी श्रेणियां 1,49,750/–रु.
कॉलोनियों की ई एफ ए ंज ी श्रेणियां 66,500/–रु.
(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के लिए :
प्लॉट क्षेत्रफल के एक ई सी एस वर्ग मीटर हेतु 2,10,500 /–रु.</td><td>'शब्द प्लॉट क्षेत्रफल के प्रति 50 वर्ग मीटर के लिए एक ई सी एस' को 'आवासीय क्षेत्र के अलावा अन्यत्र प्रयोग हेतु निर्मित क्षेत्र के प्रति 50 वर्ग मीटर के लिए एक ई सी एस' पढ़ा जाए ।</td></tr>
<tr><td></td><td>7.2</td><td>पार्किंग के विकास के लिए कुल एक कालिक प्रभार में से एक तिहाई 30.06.2007 से पूर्व भुगतान करना होगा और शेष 2/3 भाग को 31.03.2008 तक देना होगा ।</td><td>पार्किंग के विकास के लिए एक कालिक प्रभार या तो एकमुश्त अथवा बराबर चार तिमाही किश्तों में भूस्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता द्वारा देना होगा । ऐसी पहली किश्त इन नियमों की अधिसूचना के 30 दिन के अंदर देय होगी और उसके बाद की प्रत्येक किश्त को प्रत्येक तीन माह की अवधि के अन्दर देना होगा । भुगतान में किसी प्रभार के विलम्ब होने पर, प्रत्येक वर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाएगा ।</td></tr>
</table>

3.	**9**	**पेनल्टी**	
	9.1	संगत वित्तीय वर्ष में पार्किंग के लिए विकास प्रभारों अथवा मिश्रित उपयोग प्रभारों के भुगतान में विलंब होने पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धित ब्याज का भुगतान करना होगा ।	हटाया गया ।
	9.2	बिना घोषणा अथवा पंजीकरण के मिश्रित उपयोग के अंतर्गत यदि कोई सम्पत्ति पाई गई अथवा दिल्ली मुख्य योजना–2021 के संगत प्रावधानों एवं इन विनियमों के उल्लंघन पर, सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मिश्रित उपयोग के लिए वार्षिक परिवर्तन प्रभार की 10 गुना राशि दंड (पेनल्टी) के रूप में ली जाएगी ।	बिना घोषणा अथवा पंजीकरण के मिश्रित उपयोग के अंतर्गत यदि कोई सम्पत्ति पाई गई अथवा दिल्ली मुख्य योजना–2021 के संगत प्रावधानों एवं इन विनियमों के उल्लंघन पर, सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मिश्रित उपयोग के लिए एक कालिक परिवर्तन प्रभार की 1.5 गुना राशि दंड (पेनल्टी) के रूप में ली जाएगी ।

<table>
<tr><td colspan="2">(ख) अधिसूचना एस.ओ. 4117 (ई) दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 में संशोधन</td></tr>
<tr><td>विद्यमान प्रावधान</td><td>परिवर्तन / संशोधन</td></tr>
<tr><td>सरोजिनी नगर, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि मार्किट के ऊपरी तलों पर उपयोग परिवर्तन प्रभार 22274/–रु. प्रति वर्ग मी. निर्मित क्षेत्रफल की दर से निर्धारित किया गया था ।</td><td>1. दुकान एवं आवास प्लॉटों / परिसरों, जिनको बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में नामित किया गया, के लिए एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे :
(दर रु. में प्रति वर्ग मी. निर्मित क्षेत्रफल)
<table>
<tr><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td rowspan="2">मिश्रित भूमि उपयोग का प्रकार</td><td colspan="3">कॉलोनी की श्रेणी</td></tr>
<tr><td>ए एवं बी</td><td>सी एवं डी</td><td>ई.एफ. जी. एवं एच</td></tr>
<tr><td>1</td><td>दुकान एवं आवास प्लॉट / परिसर / दुकान प्लॉट जिनको बाद में स्थानीय बाजार के रूप में नामित किया गया।</td><td>22274</td><td>14839</td><td>5576</td></tr>
</table>
2. यदि विद्यमान भवन में कुल एफ.ए.आर. 100 वर्ग मी. से अधिक और 250 वर्ग मी. तक के आकार के प्लॉटों पर अनुमेय एफ.ए.आर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अधिक एफ.ए.आर. (अधिकतम 350 एफ.ए.आर. तक) को लागू प्रभारों के 1.5 गुणा जुर्माना प्रभारों के भुगतान करने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी।
3. उपयोग परिवर्तन प्रभारों का भुगतान स्वामियों / आबंटितियों / निवासियों / उपयोगकर्ताओं द्वारा एकमुश्त रूप में अथवा समान तिमाही किश्तों में किया जाएगा। ऐसी पहली किश्त का भुगतान इन नियमों की अधिसूचना के 30 दिन के अन्दर किया जाएगा और बाद की प्रत्येक किश्त का भुगतान उसके बाद तीन माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। भुगतान करने में विलम्ब के मामले में 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा ।
4. ये दरें अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि के लिए लागू रहेंगी और इसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी।</td></tr>
</table>

[फा. सं. एफ2(14)2017–18 / ए ओ(पी) / डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

S.O. 3173(E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government hereby makes the following modifications to notifications S.O.1015 (E) dated 22nd June, 2007 and S.O. No. 4117 (E) dated 29th Dec., 2017.

<table>
<tr><th>(A)</th><th colspan="3">Modifications to Notification S.O.1015 (E) dated 22nd June, 2007</th></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Para No.</td><td>Existing Provisions</td><td>Amendments/Modifications</td></tr>
<tr><td>1</td><td>5</td><td colspan="2">ANNUAL MIXED USE CHARGES</td></tr>
<tr><td></td><td>5.1</td><td>The premises under mixed use shall be subject to levy of Annual Mixed Use charges for the period upto which the premises remain/likely to remain under mixed use. The annual Mixed Use Charges for the Financial year 2006-07 for different categories of colonies shall be as under: -
(a) For MCD areas:
(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Type of mixed use</th><th>A & B Category of colony</th><th>C & D Category of colony</th><th>E, F ,G & H Category of colony</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Retail Shops</td><td>767</td><td>511</td><td>192</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Other Activities</td><td>383</td><td>256</td><td>96</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Professional Activities</td><td>192</td><td>128</td><td>48</td></tr>
</table>
(b) For NDMC areas
(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Type of mixed use</th><th>ategory A to H</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Retail Shops</td><td>1534</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Other Activities</td><td>766</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Professional Activities</td><td>384</td></tr>
</table></td><td>5.1.1 The Owners/allottees/residents/users of the premises under mixed use shall be liable to pay one-time Use conversion charges on mixed use/commercial streets instead of Annual mixed use charges.

5.1.2, Owners/allottees/residents/users who have made “Onetime payment” as per Para 5.4 of the Notification S.O.1015(E) dated 22nd June,2007 or where the amount already paid in installments is 1.25 times of the “onetime payment” or more will not be required to pay any further amount. Excess payment, if any would be refunded subject to production of documentary evidence to this effect.

5.1.3 In cases, where full amount has not been paid as on the date of notification, the balance may be paid within 90 days of such notification. Any further delay thereafter will attract simple interest @ 10% p. a.</td></tr>
<tr><td></td><td>5.2</td><td>The payment of annual mixed use charges shall be made by the owner/allottee/resident/ user of the premises to the local authority voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year or part thereof, in proportions to that part. For the 2006-07, 1/4th of the annual mixed use charges shall be paid on or before 30-06-2007 and the balance 3/4th shall be paid on or before 30-09-2007. For the subsequent assessment years, the entire charges are to be paid on or before 30th June of that year.</td><td>Not applicable and hence deleted.</td></tr>
<tr><td></td><td>5.3</td><td>These rates shall remain in force in respect of subsequent years also unless specifically revised and notified with the approval of the Central Government.</td><td>The charges as per para 5.4 shall remain in force for a period of six months from the date of notification and thereafter these will be reviewed.</td></tr>
</table>

5.4

The owner/allottee/resident/user of the premises shall have option to make onetime payment of mixed use charges, which shall be as follows for the year 2006-07:-

(a) For MCD areas:

(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	A & B Category of colony	C & D Category of colony	E, F ,G & H Category of colony
1	Retail Shops	6136	4088	1536
2	Other Activities	3064	2048	768
3	Professional Activities	1536	1024	384

(b) For NDMC areas

(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	Category A to H
1	Retail Shops	12272
2	Other Activities	6128
3	Professional Activities	3072

The Owners/allottees/residents/users of the premises under mixed use shall be liable to pay one-time Use conversion charges on mixed use/commercial streets instead of Annual mixed use charges. One-time Use Conversion Charges for different categories of colonies shall be as under:

(a) For MCD areas:

(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	Category of colonies		
		A & B	C & D	E, F ,G & H
1	Retail Shops	6136	4088	1536
2	Other Activities	3064	2048	768
3	Professional Activities	1536	1024	384

(b) For New Delhi Municipal Council areas

(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	Category of colonies
		A to H
1	Retail Shops	12272
2	Other Activities	6128
3	Professional Activities	3072

5.5

The payment of one time mixed use charges for the year 2006-07 may be made in four equal quarterly installments, the first installment of which shall be paid on or before 30-06-2006

The onetime Use Conversion charges, shall be paid by the owners/allottees/residents/users either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.

5.6

The mixed use charges for villages and rehabilitation colonies in NDMC areas shall be equal to the charges for the various categories of MCD colonies.

The mixed use charges for villages in Delhi and rehabilitation colonies in New Delhi Municipal Council areas shall be equal to the charges for the various categories of MCD colonies.

5.7

'Inserted new sub para'

In case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sqm & upto 250 Sqm, such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges amounting to 1.5 times the applicable charges.

2 7 **ONE TIME CHARGES FOR DEVELOPMENT OF PARKING**

7.1

The owner/allottees/resident/user of the plot/dwelling unit under the mixed land use shall also be liable to pay one time charges for development of parking and such rate for one ECS per 50 Sqm. of plot area shall be as under for the year 2006-07.

(a) For MCD areas:-

A & B Category of colonies ₹ 2,10,500

C & D category of colonies ₹ 1,49,750

E,F&D Category of colonies ₹ 66,500

(b) For NDMC areas:-

₹ 2,10,500 for one ECS Sqm of plot area.

Words 'one ECS per 50 Sqm. of plot area' may be read as 'one ECS per 50 Sqm. of built up area for the area under use other than residential'

	7.2	Out of the Total one time charges for development of parking $1/3^{rd}$ shall be paid on or before 30-06-2007 and the remaining $2/3^{rd}$ by 31-03.2008	The onetime charges for development of parking shall be paid by the owners/allottees/residents/users either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.
3	9	**Penalty**	
	9.1	Delay in payment of development charges for parking or mixed use charges of the relevant financial year shall be compoundable on payment of interest at 8% p.a.	Deleted
	9.2	The property found under mixed use without declaration or registration or in violation of the relevant provisions of the Master Plan for Delhi 2021 and these regulations, shall be liable for penal action under the relevant Act by the local body concerned and also a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use shall be imposed.	The property found under mixed use without declaration or registration or in violation of the relevant provisions of the Master Plan of Delhi 2021 or these regulations, shall be liable for penal action under the relevant Act by the local body concerned and also a penalty amounting to 1.5 times the one-time conversion charges for mixed use shall be imposed.

<table>
<tr><td>(B)</td><td>Modifications to Notification S.O.4117 (E) dated 29th Dec., 2017</td></tr>
<tr><th>Existing Provisions</th><th>Amendments/Modifications</th></tr>
<tr><td>Use conversion charges on upper floors of Market like Sarojini Nagar, Khan Market and Green Park Extension etc. was fixed @ ₹ 22274/- per Sqm. builtup area</td><td>
1. One time use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes later designated as LSCs shall be as under
(Rates in ₹ per Sqm built up area)
<table>
<tr><th rowspan="2">S. No.</th><th rowspan="2">Type of mixed land use</th><th colspan="3">Category of colony</th></tr>
<tr><th>A & B</th><th>C & D</th><th>, F ,G & H</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Shop-cum -residence plots/complexes/ shop plots later designated as LSCs</td><td>22274</td><td>14839</td><td>5576</td></tr>
</table>
2. In case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sqm & upto 250 Sqm, such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges amounting to 1.5 times the applicable charges.
3. The Use Conversion charges, shall be paid by the owners/ allottees/residents/user either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.
4. These rates will remain in force for a period of six months from the date of notification and thereafter these will be reviewed.
</td></tr>
</table>

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.29 23:12:02 +05'30'